

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा (छ.ग.)

जिला :- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

—: आवश्यक सूचना :-

चांपा, दिनांक – 18.03.2026

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना" संचालित है। उक्त योजना अन्तर्गत जिन छात्र/छात्राओं की पारिवारिक वार्षिक आय रु. 08 लाख तक है, उन विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा की सहायता हेतु भारत सरकार रु. 10 लाख तक बिना किसी गिरवी रखे एवं बिना गैरेंटर के 03 प्रतिशत ब्याज की अनुदान के साथ शिक्षा ऋण प्रदान किया जा रहा है। अतः इच्छुक छात्र/छात्रा उक्त योजना का लाभ अपनी उच्च शिक्षा हेतु ले सकते हैं। अन्य जानकारी हेतु संबंधित प्राध्यापकों से सम्पर्क कर सकते हैं।



(डॉ. एच.पी. खैरवार)

PRINCIPAL,

शास. एम.एम.आर. स्नातको. महाविद्यालय चाम्पा
CHAMPA (C.G.) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

उच्च शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा

स्वीडिश मिशन एवं राष्ट्रीय राज, इन्दिरावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2604113 फैक्स - 0771-2203412)

E-mail: highereducation@ppmail.com Website: www.highereducation.cg.gov.in

कमांक 196/33/आउशि/अनुवृत्ति/2026
प्रति,

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/03/26

सुलभासिंह,
राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़
प्राचार्य,
राज्य स्तरीय एवं अशासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय :- Regarding For Financial Assistance To Meritorious Students Namely
The Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme


संदर्भ :- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक जी.ई.एन.सी.
अं.आर.-35/1426/2026/33-1 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 13.02.2026।

-----00-----

भारत सरकार द्वारा मेधावी/छात्रों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना संचालित है। योजना के अंतर्गत 8 लाख रु. तक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों का 5-10 लाख बिना कुछ गिरवी रखे (Collateral Free) एवं बिना गैरेंटर के 3 प्रतिशत व्याज अनुदान के साथ शिक्षा खर्च प्रदान किया जाता है।

उत्पन्न उच्च स्तर में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रति जागरूक करते हुए पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार



5/03/26

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/03/26

पु. कमांक 196/33/आउशि/अनुवृत्ति/2026
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैंकर कमेटी की बैठक में इस विषय को रखने के लिए वित्त विभाग से संपर्क करने हेतु।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

सी.एस.टी.एल

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

संज्ञांक GENCOR-35/1426/2026/38-1

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय:- Regarding for financial assistance to meritorious students,
namely the Pradhan Mantri Vidyaxmi Scheme.

उपरोक्त विषयांतर्गत संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सचिव
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 29.01.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु आवश्यक
कार्यवाही कर, प्रकरण का पालन प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि
माननीय मुख्यसचिव महोदय को अवगत कराया जा सके।

आदेशानुसार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, की गई कार्यवाही से आगामी
टी.एल. बैठक में सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by

FABIOLA BARA

Date: 13-02-2026

16:28:58

(फाबिओला बारा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

Churpa Ji
29/01/2026
Kumar
13/2/2026

(6)

SP
13

CHIEF SECRETARY OFFICE
E-Office Dak No. 678732
Date 09 FEB 2026

पी. के. बनर्जी
संयुक्त सचिव

P.K. Banerjee

Joint Secretary

Tel: 011-23383432

Email: pk.banerjee@nic.in

D.O. No. 39-1/2025-CSIS-Part(1)(ii)

Respected Sir/Ma'am,



जय श्री

Dak-653606

02/02/26

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन

दिल्ली - 110 115

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI 110115

आज्ञादीय
अभूत मूलांक

M. Sec.
I would like
review

- 5 FEB 2026

S(High. Edu)

30 days
Dated 29th January, 2026

I am writing to you regarding dissemination of information on the Government of India scheme for financial assistance to meritorious students, namely the Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme, which provides collateral-free and guarantor-free education loans, along with a 3% interest subvention on loans up to ₹10 lakhs for students with an annual family income of up to ₹8 lakhs.

2. Reference is invited to this Department's earlier D.O. letter No. 39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii) dated 15.07.2025 (copy enclosed), wherein the need to create awareness about education loan and interest subvention schemes was highlighted. While the PM-Vidyalaxmi Scheme offers an easily accessible and student-friendly online platform for availing collateral-free and guarantor-free education loans, its awareness and utilisation are still below the desired level.

3. In this context, State Governments can play a key role in ensuring last-mile outreach. It is therefore requested that the action taken on the earlier communication may kindly be reviewed and further steps be taken to strengthen awareness of the PM-Vidyalaxmi Scheme at the State and district levels, using existing platforms such as State Education Departments, Universities, Colleges, Schools and skill institutions, in coordination with State Level Bankers Committees and District Level Coordination Committees.

4. These efforts will help improve awareness and ensure that meritorious students are able to access financial support for pursuing higher education in a timely manner.

With regards,

Encl: a/a

30 days

S.N.O. (SCA)

Putup for
astk

Yours sincerely,

प्रतिक्रम बनर्जी

9 FEB 2026

(P.K. Banerjee)

To:

The Chief Secretaries of all States/UTs (as per list)

आवक / जावक क्रमांक 440
दिनांक 09 FEB 2026

U/S CD

31/1/26

09/02/26

